न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील::80/2017 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1 श्रीमती नेनूदेवी पुत्री पेमाजी पत्नी बाबरराम जी देवासी, ग्राम बाला हाल निवासी कुरना तहसील पाली 2 श्रीमती दाखु पुत्री पेमाजी पत्नी बींजाराम देवासी निवासी ग्राम बाला की ढाणी तहसील पाली जिला पाली		1. कालूराम पुत्र पेमाजी देवासी नि. ग्राम बाला, तहसील व जिला पाली 2. संदीप पुत्र विनोद भाईजी जाति हलाई लोहाणा निवासी फ्लेट नम्बर 702, रामकृपा बिल्डिंग देवजी भीमजी लेन, मथुरादास रोड, लक्ष्मीनारायण मन्दिर के सामने, कांदिवली मुम्बई 3. भरत पुत्र घीसुलाल छाजेउ जैन निवासी 902, इन्द्रप्रस्थ टॉवर 4/5 वा काटॅर रोड (कस्तुरबा रोड) बोरीवली ईस्ट मुंबई 4. संदीप पुत्र घीसुलालजी छाजेड जेन, निवासी 902, इन्द्रप्रस्थ टॉवर 4/5 वा काटॅर रोड (कस्तुरबा रोड) बोरीवली ईस्ट मुंबई 5. गोपालदास पुत्र हिरालाल सुरा जाति वैष्णव बनीया निवासी ए/602, वसंत ऐश्वर्य मथुरादास रोड़, एस्प्लेनेड कॉलेज के सामने कांदिवली वेस्ट मुम्बई 6. कुणाल पुत्र वल्लभदास चौटालिया जाति हिन्दु सलाट विमुखतिया निवासी 3, गैलेक्सी दतपाड़ा रोड, बोरीवली ईस्ट मुम्बई 7. परेश पुत्र मोहनलाल पारेख जाति बनीया निवासी 102 स्मृति को. ऑप हा.सो.लि. एम.जी. क्रास. रोड नम्बर 4 पटेल नगर के पास कांदिवली प. मुम्बई 8. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव
रेस्पोडेण्टस की ओर से एडवोकेट श्री लक्ष्मण चौधरी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 26.10.2017

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1230 दिनांक 23.10.2001 के विरुद्ध पेश की हैं। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मौजा सरहद ग्राम बाला, पटवार हल्का बाला, तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान) में स्थित खसरा नंबर 820/11 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता पेमा पुत्र भाना के नाम की पुश्तैनी कब्जाशुदा व खातेदारीशुदा की थी। पेमा पुत्र भाना की मृत्यु के बाद उक्त खातेदारी के संबंध में पटवारी हल्का बाला द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1230 भरा गया जिसमें पेमा के वारिसान के रूप में रेस्पो. संख्या 1 कालुराम(पुत्र) व पेमा की पत्नी भीकी का नाम दर्ज किया उनकी जाइन्दा पुत्रियां अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 जो की विधिक वारिसान थी उनका नाम दर्ज नहीं किया गया एवं उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार पाली द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच के स्वीकृत कर विधिक भूल की है। उपरोक्त नामान्तरकरण खारिज काबिल है। नामान्तरणकरण में अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के नाम अंकित नहीं करने से स्व. पेमाराम की दोनों पुत्रियां अपने हक हकूक से वंचित हो गई। जो विधि अनुकूल नहीं है। चुंकी जैर अपील नामान्तरकरण से अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई इसलिए ऐसा नामान्तरकणर प्रारम्भ से शुन्य है।

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जिसके लिए म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमावे एंव मातहत अदालत को स्व.पेमाराम के विधिक वारिसान की बाद जांच विधि अनुरूप नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को तलब करने पर उपस्थित हुआ एवं अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जैर अपील भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। जो उसके पिता पेमाराम पुत्र भानाजी जाति देवासी निवासी बाला के नाम थी। उनकी मृत्यु उपरान्त उपरोक्त भूमि बहैसियत पुत्र होने के नाते उसके व उसकी माता भीकी पत्नी पेमाराम के नाम नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट मेरी बहने है। यह सत्य है। जिनकी सहमति से ही मेरे व मेरी माता भीकी द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचाण किया गया है। उपरोक्त नामान्तरकरण एवं उसके पश्चात बेचाण की जानकारी मेरी दोनों बहनों अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को थी। अब बेवजह विवाद कर रही है। उक्त कृषि भूमि मेरी व मेरी माता के नाम खातेदारी होने से बेचाण किया है। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 बेबुनियाद विवाद कर रही है। जिससे उनकी अपील खारिज फरमावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं कथन किया कि सरहद मौजा बाला तहसील पाली के खसरा नम्बर 820/11 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी।। की कृषि भूमि उनके द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के तत्कालीन खातेदारों से क्रय की गई है। जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है एवं मौके पर काबिज है। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 स्व. पेमा पुत्र भाना देवासी निवासी बाला की विधिक वारिसान है। इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली संलग्न नहीं है एवं यह माना भी जाए की वे स्व. पेमा की विधिक वारिसान है। तो वे ससुराल में रहती है एवं उनका कब्जा काश्त जैर अपील आराजी पर नहीं है। जैर अपील नामान्तरकरण एवं उपरोक्त भूमि के बेचाण की जानकारी उनको शुरू से थी। अतः इस अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। उनके द्वारा अपनी माता के जीवित रहते किसी प्रकार का उज्र ऐतराज नहीं किया गया न ही वाद प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेण्ट के हक में निस्पादित सभी पंजीबद्ध विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय में खारिज करवाकर ही अपीलाण्टगण अपना हक प्राप्त कर सकती है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाए।

बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाला पटवार हल्का बाला तहसील पाली की आराजी खसरा नम्बर 820/11 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी संवत् 2056–2059 के अनुसार पेमा पुत्र भाना जाति राईका सा.दे. खातेदार दर्ज थी। जो पेमाराम की मृत्यु के पश्चात जरिये जैर अपील नामान्तरकरण 1230 दिनांक 23.10.2001 को उसके वारिसान कालूराम वल्द पेमा व भीकी बेवा पेमा जाति राईका दर्ज की गई। जबकि स्व.पेमा की दो जाईन्दा पुत्रियां अपीलाण्ट संख्या 1 श्रीमती नेनु पुत्री पेमाजी पत्नी बाबररामजी जाति देवासी निवासी बाला हाल निवासी कूरना एवं अपीलाण्ट संख्या 2 श्रीमती दाखु पुत्री पेमाजी पत्नी बींजाराम जाति देवासी निवासी बाला की ढाणी तहसील पाली थी। इस तथ्य की पुष्टि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के जवाब में की गई है। उनका भी उक्त नामान्तरकरण में इन्द्राज होना चाहिए था। जो नहीं कर मातहत अदालत द्वारा भारी कानूनी भूल की है। नामान्तरकरण एक Summary Proceeding है। इसके द्वारा किसी को भी अपने हक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्वीकृत नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य है। मातहत अदालत द्वारा स्व. पेमा के विधिक वारिसान की समूचित जांच नहीं की गई एवं जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से शुन्य है। उसके लिए म्याद का बिन्दु कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद माना जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1230 दिनांक 23.10.2001 को खारिज किया जाता है एवं इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि स्व. पेमा पुत्र भाना देवासी निवासी बाला तहसील पाली के विधिक वारिसान की जांच कर तथा समूचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि अनुरूप नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण तहसीलदार पाली को पालनार्थ भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली